85

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1358–दो/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 10–7–06 – पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 7/03–04 निगरानी

जगदीश सिंह तनय पारखत सिंह
ग्राम सगौनी तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना, मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती भारतीसिंह पत्नि स्व.जयप्रताप सिंह
2– श्रीमती ज्योतिसिंह पुत्री स्व.जयप्रताप सिंह
3– कु0स्वाती सिंह पुत्री स्व.जयप्रताप सिंह
4– कुमारी रीता सिंह पुत्री स्व.जयप्रताप सिंह
5– कुमारी स्वेता सिंह पुत्री स्व.जयप्रताप सिंह
नवा.सरपरस्त मॉ श्रीमती भारती सिंह
6– विजयप्रताप सिंह पुत्र स्व.जयप्रताप सिंह
7– अतुल सिंह पुत्र स्व.जयप्रताप सिंह
8– राहुल सिंह पुत्र स्व.जयप्रताप सिंह
9– श्रीमती सविता सिंह पत्नि स्व. अजयपाल सिंह
सभी निवासी ग्राम छिवौरा तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना, मध्य प्रदेश
10–शारदाप्रसाद पटवारी हलका सगौनी तहसील
रामपुर वाघेलान जिला सतना
11–म0प्र0शासन ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक की ओर से श्री डी.एस.चौहान)

आ दे श

(आज दिनांक 07–08–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 7/03–04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10–7–06 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सगौनी की आराजी क्रमांक 10 रकबा 6.00 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के अनावेदक क्रमांक 1 से 9 शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी दर्ज है , जिस पर बिना किसी सक्षम आदेश के हलका पटवारी ने आवेदक का कब्जा दर्ज कर दिया। इसी अनाधिकृत प्रविष्टि को विलोपित करने के लिये अनावेदक क्रमांक 1 से 9 ने तहसीलदार रामपुर वाघेलान के समक्ष आवेदन दिया। तहसीलदार रामपुर वाघेलान ने प्रकरण क्रमांक 12 अ-6-अ/99-2000 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 23-6-2000 पारित किया तथा अनावेदक क-1 से 9 का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क-1 से 9 ने अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने तहसीलदार रामपुर वाघेलान के प्रकरण क्रमांक 12 अ-6-अ/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 23-6-2000 के परीक्षण उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 24-7-2001 से विनिश्चत किया कि चूँकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में उभय पक्षकारों के मध्य लंबित विवाद के विषय को अंतिम रूप से विनिश्चत किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालाय का आदेश अपील योग्य मान्य किया जाता है। उभय पक्षों को प्रवाचक सूचित करें। प्रकरण की प्रचलनशीलता पर तर्क हेतु दिनांक 7-8-2001 नियत की गई। अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 24-7-2001 के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी क्रमांक 311/2002-03 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर सतना ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30-8-03 पारित किया तथा निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 7/03-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-7-06 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के अंतरिम आदेश दिनांक 24-7-2001 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने ने तहसीलदार रामपुर वाघेलान के प्रकरण

क्रमांक 12 अ-6-अ/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 23-6-2000 के परीक्षण उपरांत निर्णीत किया है कि तहसीलदार ने अपने आदेश में उभय पक्षकारों के मध्य लंबित विवाद के विषय को अंतिम रूप से विनिश्चत किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपील योग्य मान्य किया जाता है। उभय पक्षों को प्रवाचक सूचित करें। प्रकरण की प्रचलनशीलता पर तर्क हेतु दिनांक 7-8-2001 नियत की गई । यह सही भी है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 23-6-2000 अंतिम प्रकृति का है जो अपील योग्य है जिसके कारण अपर कलेक्टर सतना ने आदेश दिनांक 30-8-03 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 10-7-06 पारित करते समय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित ठहराते हुये हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है वैसे भी अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने प्रकरण क्रमांक 58/2000-03 अपील में पारित आदेश दिनॉक 18-9-2001 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया है तथा अपील स्वीकार कर खसरा प्रविष्टि दुरूस्त करने के आदेश दिये है। अनुविभागीय अधिकारी का यह आदेश अपील योग्य होने से तथा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के प्रकरण क्रमांक 58/2000-03 अपील का अंतिम रूप से विनिश्चय हो जाने के कारण यह निगरानी व्यर्थ हो चुकी है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन हो जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 7/03-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-7-06 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर